

सूचना विवरणिका
लोक प्राधिकारी द्वारा तात्कालिक प्रकटन

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005
के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा तैयार किये गये

17 मैनुअल
(धारा – 4 के अनुपालन में)

भाग – 3
मैनुअल संख्या 06 से 17
संस्करण 2009–10

उच्च शिक्षा निदेशालय
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

अनुक्रमणिका मैनुअल 6 से 17

मैनुअल क्र०सं०	विवरण	पेज संख्या
6	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण।	1
7	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं।	3
8	ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी।	4
9	अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।	7
10	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथाउपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।	9
11	सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।	10
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।	16
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्रधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां।	18
14	किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों।	19
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां। जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यक्रम घंटे सम्मिलित हैं।	20
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां।	25
17	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय।	26

मैनुवल क्रम संख्या- 6

उच्च शिक्षा निदेशालय में प्रवर्गों के अनुसार आबंटित कार्यों तथा तत्संबंधी दस्तावेजों का वर्गीकरण निम्नवत है।

डिग्री सेवा अनुभाग:

- शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति।
- पदोन्नति, स्थानान्तरण।
- वेतन निर्धारण चयन/वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृति, वेतन वृद्धि।
- अवकाश स्वीकृति, अनापत्ति प्रमाण पत्र, विदेश यात्रा भ्रमण।
- अधिष्ठान से संबंधित अन्य समस्त कार्य।

डिग्री प्लान अनुभाग:

- नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना एवं अतिरिक्त विषयों की स्वीकृति।
- विषयों को खोलने हेतु क्लीयरेन्स।
- स्थायी/अस्थायी संबद्धता, पैनल निरीक्षण।
- वार्षिक योजना, पंचवर्षीय योजना, विधान सभा/ राज्यसभा/ लोकसभा प्रश्न।
- नये पदों का सृजन/ आयोजनागत पदों का सततीकरण।
- व्यावसायिक पाठ्यक्रम।

डिग्री विकास अनुभाग:-

- भूमि-अधिग्रहण
- भवन-निर्माण – आवासीय, अनावासीय, लघु निर्माण।
- यू0जी0सी0 अनुदान

डिग्री बजट अनुभाग (I) :-

- समस्त शासकीय महाविद्यालयों के आयोजनागत/आयोजनेत्तर बजट प्रस्ताव, बजट निर्माण एवं बजट आबंटन।
- बजट अभिभाषण।
- कालातीत बिलों के सम्परीक्षण सम्बन्धी कार्य।

डिग्री बजट अनुभाग (II) :

- पेंशन/सेवा निवृत्ति संबंधी प्रकरण।
- जी०पी०एफ० स्वीकृति।

डिग्री अर्थ अनुभाग (I) :

- अशासकीय महाविद्यालयों की प्रशासनिक जांच व निरीक्षण।
- अशासकीय महाविद्यालयों से सम्बन्धित समस्त कार्य।
- समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों का लेखा परीक्षण, आडिट आपत्तियों का निराकरण आदि।

डिग्री अर्थ अनुभाग (II) :

- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति।
- असेवित छात्रवृत्ति।
- प्रतिभावान छात्रवृत्ति।
- शोध छात्रवृत्ति।

डिग्री विधि अनुभाग:

- उच्च शिक्षा से सम्बन्धित न्यायालयीय वाद संबंधी कार्य

डिग्री आडिट अनुभाग:

- विभागीय आडिट इकाई के द्वारा शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों का लेखा-परीक्षण।

महाविद्यालय के प्राचार्य के कार्यालयों में धारित सूचनाएँ

महाविद्यालय स्तर पर कार्यालय, प्राचार्य के द्वारा समस्त शैक्षणिक प्रशासनिक एवं वित्तीय अभिलेखों एवं दस्तावेजों को धारित किया जाता है। प्रशासनिक कार्यों के संबंध में आवश्यक दस्तावेज कार्यालय अधीक्षक के नियंत्रणाधीन होते हैं, जबकि लेखाकार के पास वित्तीय दस्तावेज एवं पुस्तकालय से सम्बन्धित अभिलेख पुस्तकालयाध्यक्ष/पुस्तकालय प्रभारी/पुस्तकालय कार्मिक के अधीन रहते हैं। विभिन्न विभागों में रखी गई पत्रावलियाँ एवं स्टॉक पंजिकाएँ, विद्यार्थी प्रवेश उपस्थिति, परीक्षा पंजिकायें तत्संबंधी विभाग प्रभारी अथवा प्रयोगशाला सहायक या स्टोर सहायक के नियंत्रण में रखी जाती हैं। कुछ विशिष्ट पत्रावलियाँ एवं पंजिकायें तथा तत्संबंधी दस्तावेज प्राचार्य द्वारा गठित समितियों के संयोजकों के नियंत्रणाधीन होती हैं।

मैनुअल क्रम संख्या-7

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं

नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके प्रतिनिधित्व के लिये विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना।

शिक्षक अभिभावक संघ:- (PTA)

संस्था एवं स्थानीय समाज के पारस्परिक संबंधों में वृद्धि तथा स्थानीय समाज के भौतिक, आर्थिक एवं नैतिक सहयोग से संस्था की समस्याओं के निराकरण के प्रयास हेतु राज्य के समस्त महाविद्यालयों में अभिभावक- शिक्षक परिषद (पी0टी0ए0) का गठन किया गया है। प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित इस संघ के उपाध्यक्ष का चुनाव अभिभावकों में से किया जाता है तथा महाविद्यालय के नामित शिक्षक इसके सचिव के रूप में कार्य करते हैं। पी0टी0ए0 के प्रमुख कार्य निम्नवत हैं:-

- शिक्षण संस्थाओं एवं छात्र अभिभावकों के मध्य संवाद स्थापित करना।
- संस्था की नीतियों एवं कार्यक्रमों में जन-सहभागिता को प्रोत्साहित कर परामर्श करना व सुझावों को समुचित महत्व देना।
- संस्था के संसाधनों को बढ़ाने में निजी सहयोग प्राप्त करना।
- अभिभावकों को संस्था के विकास एवं नवीनतम प्रवृत्तियों की जानकारी प्रदान करना।

भूतपूर्व छात्र परिषद: (Alumni Association)

महाविद्यालयों के उन भूतपूर्व छात्रों, जिन्होंने समाज के विविध क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियाँ अर्जित कर अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है, के साथ संवाद स्थापित कर उनकी उपलब्धियों से विद्यार्थियों को प्रेरित करने तथा उनकी विशेषताओं से संस्था को लाभान्वित करने हेतु भूतपूर्व छात्र परिषदों का गठन भी अनेक महाविद्यालयों में किया गया है, जिसके कार्य निम्नवत हैं:-

- गणमान्य पूर्व छात्रों से संवाद स्थापित कर उन्हें विविध क्रियाकलापों एवं आयोजनों में आमंत्रित करना।
- संस्था के गुणवत्तापूर्ण विकास में उनकी प्रतिभागिता प्राप्त करना सुझावों को महत्व देना।
- संस्था के विकासार्थ बहुआयामी समर्थन प्राप्त करने के प्रयास करना।

मैनुअल क्रम संख्या-8

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी।

आदर्श महाविद्यालयों में गठित होने वाली समितियाँ

गवर्निंग बॉडी:

1. अधिकतम तीन सदस्यों का नामांकन राज्य शासन अवकाश प्राप्त कुलपतियों, प्राचार्यों एवं शिक्षाविदों में से किया जायेगा, जिनमें से एक अध्यक्ष होगा।
2. महाविद्यालय के दो वरिष्ठतम सदस्यों, जो दो-दो वर्ष के प्राचार्य द्वारा रोटेशन से नामांकित किये जायेंगे।
3. विश्वविद्यालय का नामित सदस्य।
4. प्राचार्य/सदस्य सचिव।

कार्य:

1. महाविद्यालय की वित्त समिति की संस्तुति पर छात्र शुल्क व अन्य देयों का निर्धारण।
2. छात्रवृत्ति, फेलोशिप, मैडल, पुरस्कार, सार्टिफिकेट का एकेडेमिक काउन्सिल की संस्तुति पर निरूपण।
3. डिग्री एवं डिप्लोमा प्रोग्राम का चयन एवं स्थानीय स्थितियों के अनुरूप परिमार्जन।
4. इसके अतिरिक्त महाविद्यालय के विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिये अन्य कार्य।

एकेडेमिक काउंसिल:

1. प्राचार्य- अध्यक्ष
2. सभी विभागों के अध्यक्ष/वरिष्ठतम शिक्षक
3. रोटेशन के वरिष्ठता के आधार पर चार शिक्षक, जिनका चयन प्राचार्य द्वारा किया जायेगा, जिनमें से एक सदस्य प्राचार्य द्वारा सचिव के रूप में नामित किया जायेगा।
4. उद्योग व्यवस्था विधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्जीनियरिंग आदि क्षेत्रों के चार विशेषज्ञ जिनका नामांकन गवर्निंग बॉडी द्वारा किया जायेगा।
5. विश्वविद्यालय के तीन नामित सदस्य, नामित व्यक्तियों का कार्यकाल दो वर्ष होगा। प्राचार्य द्वारा कमेटी की सभा वर्ष में न्यूनतम एक बार आहूत की जायेगी।

कार्य :

1. पाठ्यक्रम निर्माण एवं संशोधन एकेडमिक नियमावली, मूल्यांकन की विधि एवं प्रणाली आदि का अनुमोदन।
2. छात्रों के प्रवेश सम्बन्धी नियमावली का निर्धारण।
3. क्रीड़ा प्रतियोगिताओं, शिक्षणेत्तर क्रिया-कलापों एवं क्रीड़ांगन तथा छात्रावास का संचालन।
4. विभिन्न बोर्ड आफ स्टडीज द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम/नवीन पाठ्यक्रम आदि की गवर्निंग बॉडी की संस्तुति करना।
5. संस्था में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति, फेलोशिप, पुरस्कार एवं मैडल की गवर्निंग बॉडी को संस्तुति।

बोर्ड आफ स्टडीज:

1. विभागाध्यक्ष – अध्यक्ष
2. सम्बन्धित विषय के विशेषज्ञ-पॉच अध्यापक
3. एकेडमिक काउंसिल द्वारा नामित दो वाह्य विशेषज्ञ
4. विश्वविद्यालय द्वारा नामित सदस्य नामित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। विभिन्न विभागों के लिए बोर्ड आफ स्टडीज की मीटिंग पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वर्ष में न्यूनतम एक बार प्राचार्य द्वारा आहूत की जायेगी।

कार्य :

1. पाठ्यक्रम में निरन्तर संशोधन/सुधार।
2. नवीनतम अध्यापन एवं मूल्यांकन तकनीक का सुझाव देना।
3. परीक्षकों की सूची एकेडमिक कॉसिल को देना और शोध शिक्षण-प्रसार तथा अन्य शिक्षणेत्तर गतिविधियों में समन्वय।

वित्त समिति :

1. प्राचार्य – अध्यक्ष

2. गवर्निंग बॉडी द्वारा नामित सदस्य (कार्यकाल दो वर्ष) दो वर्ष हेतु प्राचार्य द्वारा रोटेशन से नामित वरिष्ठतम शिक्षक वित्त समिति गवर्निंग बॉडी के सलाहकार के रूप में वित्त समिति कार्य करेगी और वर्ष में दो बार इसकी मीटिंग प्राचार्य द्वारा आहूत की जायेगी। इसके द्वारा बजट अनुभाग, यू0जी0सी0 को प्रेषित प्राप्त प्रस्तावों पर विचार, अशासकीय श्रोतों से वित्तीय सहायता और शुल्काय के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

महाविद्यालय स्तर पर विभिन्न कार्यों एवं गतिविधियों के संचालन हेतु गठित समितियों का विवरण

- प्रवेश समिति।
- अनुशासन समिति।
- क्रीडा समिति।
- सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति।
- छात्र कल्याण समिति।
- छात्र संघ समिति।
- व्यावसायिक पाठ्यक्रम समिति।
- महाविद्यालय विकास समिति।
- परीक्षा समिति।
- टी0सी0 एवं चरित्र प्रमाणपत्र निर्गत समिति। ।
- यू0जी0सी0 समिति
- एन0सी0सी0 समिति।
- समारोह समिति।
- कैरियर काउन्सिलिंग समिति।

क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी:—

नियमानुसार, बैठकों में नामित जनप्रतिनिधि अथवा विशेषज्ञ तत्संबंधी बोर्ड अथवा समिति या परिषद में सूचना देकर आमंत्रित किए जाते हैं और उन तक कार्यवृत्त की पहुँच होती ही है किन्तु कतिपय अपवादों को छोड़कर शेष सभी बैठकों के कार्यवृत्तों तक जनता की पहुँच नियमानुसार उपलब्ध होगी।

मैनुअल क्रम संख्या-9
अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची :

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	मौलिक वेतनमान
1	सुश्री राधिका झा,आई०ए०एस०	निदेशक/अपर सचिव	
2	डा० बहादुर सिंह बिष्ट	संयुक्त निदेशक	37400-67000(10000)
3	डा०डी०के० पाण्डे	उप निदेशक	37400-67000(10000)
4	डा० एल०बी० अग्निहोत्री	उप निदेशक	37400-67000(10000)
5	डा० गोविन्द सिंह रजवार	उप निदेशक	37400-67000(10000)
6	रिक्त	वित्त नियंत्रक	लेखा संवर्ग
7	कु० रुचिता तिवारी	लेखाधिकारी	15600-39100(5400)
8	श्री नर सिंह बिष्ट	सहायक निदेशक	37400-67000(9000)
9	डा० बी०एन०शर्मा	सहायक निदेशक	37400-67000(9000)
10	रिक्त	सहायक निदेशक	प्रवक्ता संवर्ग
11	रिक्त	सहायक निदेशक	प्रवक्ता संवर्ग
12	श्री एन०एस०बोरा	वैयक्तिक सहायक	9300-34800(ग्रेड पे 4200)
13	श्री हरीश चन्द्र बुधलाकोटी	आशुलिपिक	9300-34800(ग्रेड पे 4200)
14	श्री महेन्द्र सिंह नेगी	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-1	9300-34800(ग्रेड पे 4200)
15	रिक्त	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-1	9300-34800(ग्रेड पे 4200)
16	रिक्त	लेखाकार	9300-34800(ग्रेड पे 4200)
17	श्री एम०सी० जोशी	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-2	9300-34800(ग्रेड पे 4200)
18	श्री भीम बहादुर राम	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-2	9300-34800(ग्रेड पे 4200)
19	रिक्त	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-2	9300-34800(ग्रेड पे 4200)
20	श्री सुरेश चन्द्र ढौढियाल	आशुलिपिक	9300-.34800(ग्रेड पे 4200)
21	श्रीमती अंजली वर्मा	आशुलिपिक	5200-.20200(ग्रेड पे 2400)
22	श्रीमती प्रेमा भंडारी	आशुलिपिक	5200-.20200(ग्रेड पे 2400)
23	श्री ज्ञान चन्द्र जोशी	अन्वेषक कम संगणक	5200-20200(ग्रेड पे 2800)
24	रिक्त	अन्वेषक कम संगणक	5200-.20200(ग्रेड पे 2800)
25	श्री डी०एस० बगड़वाल	वरिष्ठ सहायक	5200-.20200(ग्रेड पे 2800)
26	श्री एम०एम०जोशी	वरिष्ठ सहायक	5200-.20200(ग्रेड पे 2800)
27	श्री गिरीश चन्द्र शर्मा	वरिष्ठ सहायक	5200-.20200(ग्रेड पे 2800)
28	श्री किशन राम	वरिष्ठ सहायक	5200-.20200(ग्रेड पे 2800)
29	रिक्त	सहायक लेखाकार	5200-.20200(ग्रेड पे 2800)
30	रिक्त	लेखा परीक्षक	5200-.20200(ग्रेड पे 2800)

31	रिक्त	लेखा परीक्षक	5200-.20200(ग्रेड पे 2800)
32	श्रीमती पुष्पा जोशी	प्रवर सहायक	5200-.20200(ग्रेड पे 2400)
33	श्रीमती मंजू मेहरा	प्रवर सहायक	5200-.20200(ग्रेड पे 2400)
34	श्री प्रदीप पंत	प्रवर सहायक	5200-.20200(ग्रेड पे 2400)
35	श्री चन्द्रशेखर पाण्डे	प्रवर सहायक	5200-.20200(ग्रेड पे 2400)
36	श्री बसंत सिंह रावत	प्रवर सहायक	5200-.20200(ग्रेड पे 2400)
37	श्रीमती मीनाक्षी काला	प्रवर सहायक	5200-.20200(ग्रेड पे 2400)
38	श्री विनोद कुमार पाण्डे	कनिष्ठ सहायक	5200-.20200(ग्रेड पे 1900)
39	श्री प्रकाश चन्द्र जोशी	कनिष्ठ सहायक	5200-.20200(ग्रेड पे 1900)
40	श्री संजय पाल सिंह	कनिष्ठ सहायक	5200-.20200(ग्रेड पे 1900)
41	श्री रमेश कुमार	कनिष्ठ सहायक	5200-.20200(ग्रेड पे 1900)
42	रिक्त	कनिष्ठ सहायक	5200-.20200(ग्रेड पे 1900)
43	रिक्त	कनिष्ठ सहायक	5200-.20200(ग्रेड पे 1900)
44	रिक्त	कनिष्ठ सहायक	5200-.20200(ग्रेड पे 1900)
45	रिक्त	कनिष्ठ सहायक	5200-.20200(ग्रेड पे 1900)
46	रिक्त	कनिष्ठ सहायक	5200-.20200(ग्रेड पे 1900)
47	रिक्त	कनिष्ठ सहायक	5200-.20200(ग्रेड पे 1900)
48	रिक्त	कनिष्ठ सहायक	5200-.20200(ग्रेड पे 1900)
49	रिक्त	कनिष्ठ सहायक	5200-.20200(ग्रेड पे 1900)
50	श्री जगत सिंह रावत	वाहन चालक	5200-.20200(ग्रेड पे 2400)
51	श्री राजेश चन्द्र डबराल	वाहन चालक	5200-.20200(ग्रेड पे 1900)
52	रिक्त	वाहन चालक	5200-.20200(ग्रेड पे 1900)
53	रिक्त	वाहन चालक	5200-.20200(ग्रेड पे 1900)
54	श्री कुशल सिंह	परिचारक	4440-.7440(ग्रेड पे 1650)
55	श्री भुवन चन्द्र सनवाल	परिचारक	4440-.7440(ग्रेड पे 1650)
56	श्री नरेन्द्र सिंह फर्त्याल	परिचारक	4440-.7440(ग्रेड पे 1300)
57	श्री लालू राम	परिचारक	4440-.7440(ग्रेड पे 1300)
58	श्री महेन्द्र वीर विक्रम साही	परिचारक	4440-.7440(ग्रेड पे 1650)
59	श्री बलवन्त सिंह नेगी	परिचारक	4440-.7440(ग्रेड पे 1300)
60	रिक्त	परिचारक	4440-.7440(ग्रेड पे 1300)
61	रिक्त	परिचारक	4440-.7440(ग्रेड पे 1300)
62	रिक्त	परिचारक	4440-.7440(ग्रेड पे 1300)
63	रिक्त	परिचारक	4440-.7440(ग्रेड पे 1300)
64	रिक्त	परिचारक	4440-.7440(ग्रेड पे 1300)
65	श्री अमरजीत	(स्वच्छक / चौकीदार)	4440-.7440(ग्रेड पे 1300)

मैनुअल क्रम संख्या-10

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है

1. उत्तरांचल उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') नियमावली 2003 के भाग-7 प्रस्तर 21 वेतनमान में समूह क 'के' विभिन्न पदों हेतु श्रेणीवार प्रवृत्त वेतनमान निम्नवत निर्धारित है:-

श्रेणी	पद का नाम	वेतनमान
1	निदेशक, उच्च शिक्षा	37400-67000(10000)
2	संयुक्त निदेशक एवं प्राचार्य	37400-67000(10000)
	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	137400-67000(10000)
3	उप निदेशक एवं प्राचार्य उपाधि महाविद्यालय	37400-67000(10000)
4	(क)सहायक निदेशक	15600-39100(6000)
	(ख) प्रवक्ता	15600-39100(6000)
	प्रवक्ता वरिष्ठ वेतनमान	15600-39100(7000)
	प्रवक्ता चयन वेतनमान	37400-67000(8000/9000)

2. निदेशालय एवं महाविद्यालय स्तर पर समूह "क" के स्वीकृत पदों का विवरण निम्नवत है:-

समूह का नाम	निदेशालय	महाविद्यालय	योग
समूह-क	10	1316	1326
समूह-ख	01	00	01
समूह-ग	42	518	560
समूह-घ	12	601	613
योग	65	2435	2500

3- वेतनमान के अनुसार विभिन्न समूहों के कार्मिको को अनुमन्य वेतन निदेशालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका में भी दिया गया है।(कृपया मैनुअल-9 का संन्दर्भ लें)।

4. वेतन निर्धारण की पद्धति:-

नियमानुसार निर्धारित मूल वेतन एवं ग्रेड-पे में निम्नांकित को जोड़कर सकल परिलब्धियों का निर्धारण किया जाता है:-

- (i) विशेष वेतन
- (ii) महँगाई भत्ता
- (iii) मकान किराया भत्ता (वेतन स्लैब के अनुसार)
- (iv) पर्वतीय भत्ता/सीमांत क्षेत्र विशेष भत्ता
- (v) धुलाई भत्ता (वाहन चालक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु)
- (vi) कम्प्यूटर भत्ता - रू0 200/- प्रतिमाह
- (vii) द्विभाषी आशुलिपिक कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता - रू0 150/- प्रतिमाह

मैनुअल क्रम संख्या-11

सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

वर्ष 2009-2010

अनुदान संख्या- 11

(रु० हजार में)

1. उस धनराशि का अनुमान जिसकी वित्तीय वर्ष 2009-2010 व्यय के लिये आवश्यकता है:-

मद	राजस्व	पूंजीलेखा	योग
मतदेय	901489	96300	997789
भारित	60000	0	60000

2. अनुदान का मुख्य लेखा शीर्षकों के अनुसार विभाजन:

राजस्व लेखा	वास्तविक व्यय		प्राविधान		प्राविधान	
	वर्ष 2007-2008		वर्ष 2008-2009		वर्ष 2009-2010	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
2049- ब्याज अदायगियों						
मतदेय						
भारित		27673		50000	-	50000
योग:-		27673		50000	-	50000
2202-सामान्य शिक्षा						
शिक्षा						
मतदेय	101448	470951	185346	490950	143864	878028
भारित						
योग:-	101448	470951	185346	490950	143864	878028
पूंजीलेखा						
4202-शिक्षा खेल तथा संस्कृति						
(मतदेय)	132604		134501	-	55800	-
पर पूंजीगत व्यय						
(भारित)						
योग:-	132604		134501	-	55800	-
7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज						
(मतदेय)						
(भारित)		2900	-	7500	-	7500
योग:-		2900	-	7500	-	7500

उद्देश्यवार वर्गीकरण (लेखाशीर्षक एवं मानक मदवार विवरण)

(रु० हजार में)

विवरण	वर्ष 2007-08 में वास्तविक व्यय	वर्ष 2008-09 में वास्तविक व्यय	वर्ष 2009-10 में प्राविधान
1	6	7	
अनुदान संख्या-11			
1. आयोजनेत्तर पक्ष (राजस्व)	470951	490950	878028
योग:-	470951	490950	878028
2. आयोजनागत पक्ष (राजस्व)	101448	185346	143864
3. आयोजनागत (पूँजीगत)	137606	134501	55800
योग:-	239054	319847	199664
अनुदान संख्या-07			
भवन निर्माण अग्रिम	2500	5000	5000
मोटर वाहन क्रय	400	2500	2500
योग:-	2900	7500	7500
2049-ब्याज अदायगियाँ	27643	50000	50000
योग:-	27643	50000	50000

अनुदान संख्या-11							(रु० हजार में)	
मद	वर्ष 2007-2008 में		वर्ष 2008-2009 में		वर्ष 2009-2010 में			
	वास्तविक व्यय		वास्तविक व्यय		प्राविधान			
	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत		
लेखाशीर्षक 2202-03-001-03-उच्च शिक्षा निदेशालय	9324	-	10268	-	16311	-		
लेखाशीर्षक 2202-03-103-03-राजकीय उपाधि महाविद्यालय	286805	-	284616	-	510747	-		
लेखाशीर्षक 2202-03-103-04-वर्तमान राज०महावि० का सुदृणीकरण	-	33535	-	59655	-	53362		
लेखाशीर्षक 2202-03-103-05-राज० महावि० को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य विकास कार्यो हेतु	-	3000	-	7881	-	2500		
लेखाशीर्षक 2202-103-06-राज०महावि० में कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना	-	5200	-	5201	-	02		
लेखाशीर्षक 2202-03-103-07- नये राज० उपाधि महावि० का खोला जाना तथा	-	1440	-	2984	-	2718		

अशासकीय महावि० का प्रान्तीयकरण						
लेखाशीर्षक 2202-03-103-08- नये राज० महावि० की स्थापना	-	29636	-	54582	-	64866
लेखाशीर्षक 2202-03-103-10-आदर्श महावि० की स्थापना	-	14404	-	16500	-	6500
लेखाशीर्षक 2202-03-103-11-महावि०	-	4559	-	5731	-	2500
में कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं तथा रोजगारपरक पाठ्यक्रम का प्रारम्भ किया जाना	157001	1901	176000	3000	325000	3400
लेखाशीर्षक 2202-03-104-03-गैर सरकारी महावि० को सहायता 43-वेतन भत्ते				2500	-	1000
20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता						
लेखाशीर्षक 2202-03-104-04-प्रदेश में निजी प्रबन्ध तंत्रों संस्थाओं द्वारा असेवित क्षेत्रों में महावि० खोलने हेतु अनुदान	-	-	-	-	-	-

(रु० हजार में)						
मद	वर्ष 2007-2008 में वास्तविक व्यय		वर्ष 2008-2009 में वास्तविक व्यय		वर्ष 2009-2010 में प्राविधान	
	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजना गत्
104-06-अशासकीय स्ववित्त पोषित संस्थानों को एक मुश्त अनुदान	-	-	-	-	-	-
20-सहायक अनुदान/अंशदान	-	-	-	-	-	-
104-0502-अनुसंधान सुविधाओं हेतु विकास शोध छात्रों को छात्रवृत्तियां	146	-	150	-	150	-
104-0503-अशासकीय महावि० में नये संकाय खोलने हेतु अनुदान	-	-	-	-	-	-
104-0504-उत्तरांचल संस्कृत अकादमी को सहायता अनुदान		3500	-	-	-	-
20-सहायक अनुदान/अंशदान						
लेखाशीर्षक 2202-03-107-03-राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	2	-	50	-	50	-
07 सोसायटी मोड स्ववित्त पोषित बी०एड०				20000	-	20000
107-04-जार्ज एवरेस्ट तथा पं० किशन सिंह एवं नयन सिंह एवार्ड						
42-अन्य व्यय	-		-			
107-05- इंजीनियरिंग/मेडिकल आदि के अध्ययन हेतु विशेष छात्रवृत्ति योजना						

21-छात्रवृत्ति / छात्रवेतन	-	580	-	1000	-	1001
800-अन्य व्यय 01-केन्द्र आयोजनागत						
/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित 0101-राष्ट्रीय सेवा						
योजना के नियमित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन						
42-अन्य व्यय (75 प्रतिशत) केन्द्रांश	8794	-	9350	-	12300	-
0102-राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष शिविर कार्यक्रमों का कार्यान्वयन	8400		9350	-	12300	-
0103-राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ की स्थापना (शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता)	-	1793	-	1811	-	2115
0104-नेशनल फिटनेस कोर एन0एस0 एस0योजना	0	-	266	-	220	-

मद	वर्ष 2007-2008 में वास्तविक व्यय		वर्ष 2008-2009में प्राविधान		वर्ष 2009-2010 में प्राविधान	
	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजना गत्
800-अन्य व्यय (क्रमशः)						
04-प्राध्यापकों द्वारा विदेशों में सम्मेलनों सेमिनारों में भाग लेने के लिए अनुदान	-	-	-	-		
20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज. सहायता	5	5	100	1000	100	500
05-शासकीय तथा अशासकीय महावि0 में रोबर्स रेंजर्स कैम्प की योजना लागू करना						
42-अन्य व्यय	0	-	0	-	50	-
07-वनस्थली विद्यापीठ में उत्तरांचल के छात्राओं को सुविधा	200		200	-	200	-
20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज. सहायता						
08-एम0बी0ए0 आदि पाठ्यक्रमों में शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति के सदस्यों के मानदेय आदि का भुगतान						
42-अन्य व्यय	0	-	300	-	300	-
मुख्यलेखाशीर्षक 2202-05-भाषा विकास						
102-03-भारतीय भाषा केन्द्र देहरादून	274	-	300	-	300	-
43-वेतन भत्ते आदि के लिए अनुदान						

4202-शिक्षा, खेलकूद एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय -01-सामान्य शिक्षा -203-विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा -24-वृहद निर्माण						
अनुदान संख्या-11	(रु० हजार में)					
मद	वर्ष 2007-2008 में वास्तविक व्यय		वर्ष 2008-2009 में प्राविधान		वर्ष 2009-2010 में प्राविधान	
	आयोजनेत्तर	आयोजनागत्	आयोजनेत्तर	आयोजनागत्	आयोजनेत्तर	आयोजनागत्
03-कतिपय राज०महावि० के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किया जाना		30000		20000	-	10000
24-वृहद मिर्माण कार्य						
04-उत्तरांचल क्षेत्र के राज०महावि० के भूमि / भवन क्रय		45113		25000	-	10000
24-वृहद मिर्माण कार्य						
05-उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड हल्द्वानी का भूमि/भवन क्रय		0		1	-	5010
24-वृहद मिर्माण कार्य						
06-राज०महावि० चम्पावत का भवन निर्माण						
24-वृहद मिर्माण कार्य						
07-राज०महावि० में शिक्षण कक्ष/पुस्तकालय आदि का भवन निर्माण		3000		5000	-	3000
24-वृहद मिर्माण कार्य						
08-राज०महावि० लोहाघाट में पी०जी०ब्लाक का निर्माण						
24-वृहद मिर्माण कार्य						
09-राज०महावि० अगस्त्यमुनि (रुद्रप्रयाग) में में साइंस ब्लाक का निर्माण						
24-वृहद मिर्माण कार्य						
10-राज०स्नातको०महावि० कोटद्वार में विज्ञान भवन का निर्माण						
24-वृहद मिर्माण कार्य						
11-आदर्श महावि० की स्थापना		25000		25000	-	5000
24-वृहद निर्माण कार्य						
26-मशीनें और साज्जा/उपकरण और संयंत्र		9991		10000	-	4000
12-रोजगारपरक पाठ्यक्रम						
25-लघु निर्माण		7500		7500	-	2500
26-मशीनें और साज्जा/उपकरण और संयंत्र		7000		7000	-	2500
13- सोसायटी मोड बीएड कक्षाओं के संचालन हेतु भवन निर्माण						
24-वृहद निर्माण कार्य				30000	-	10200
योग :-		127604		129501	-	52200

अनुदान संख्या-31		(रु० हजार में)					
		वर्ष 2007-2008 में वास्तविक व्यय		वर्ष 2008-2009 में प्राविधान		वर्ष 2009-2010 में प्राविधान	
मद		आयोजनेत्तर	आयोजनागत्	आयोजनेत्तर	आयोजनागत्	आयोजनेत्तर	आयोजनागत्
मुख्य लेखाशीर्षक 2202 सा०शिक्षा-03 वि.वि. तथा उ.शि.-796 जनजाति उपयोजना-03-महावि. सुदृढीकरण योजना							
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण		-	500	-	500	400	-
26-मशीन साज-सज्जा एवं उपकरण		-	1500	-	1500	600	-
42-अन्य व्यय		-	500	-	500	400	-
योग			2500		2500	1400	-

अनुदान संख्या-31		(रु० हजार में)					
		वर्ष 2007-2008 में वास्तविक व्यय		वर्ष 2008-2009 में प्राविधान		वर्ष 2009-2010 में प्राविधान	
मद		आयोजनेत्तर	आयोजनागत्	आयोजनेत्तर	आयोजनागत्	आयोजनेत्तर	आयोजनागत्
मुख्य लेखाशीर्षक 4202 शिक्ष खेल 05 पर पूजीगत परिव्यय 01 सामान्य शिक्षा-03-वि०वि० तथा उच्चतर शिक्षा, 03 राजकीय महाविद्यालयों के छात्रावास एवं भवनों का निर्माण							
24- वृहद निर्माण		-	5000	-	5000	-	3600-
		-	-	-	-	-	-
		-	5000	-	5000	-	3600-

मैनुअल क्रम संख्या-12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं

छात्रवृत्तियों का विवरण

छात्रवृत्ति का नाम	वास्तविक व्यय		प्राविधान	छात्रवृत्ति की संख्या एवं दर
	2007-08	2008-09	2009-10	
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	2160.00	2160.00	50000	यह छात्रवृत्ति इण्टरमीडिएट स्नातक स्तर पर श्रेष्ठता के आधार पर नवीनतम रूप में दी जाती है एवं नवीनीकरण भी किया जाता है। यह छात्रवृत्ति स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की श्रेष्ठता एवं इण्टरमीडिएट की मैरिट के आधार पर बी0ए0/बी0एस0सी0/इंजी/मैडिकल कक्षाओं हेतु प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्ष में रू060, 90, 120, 120, प्रतिमाह दिवा छात्रों को तथा छात्रावास में रहने वाले छात्रों को रू0 100,140, 170, 170 प्रतिमाह की दर से स्वीकृत/नवीनीकरण किया जाता है।
शोध छात्रवृत्ति	150000	150000	150000	यह छात्रवृत्ति शोध छात्रों को अनुसंधान एवं शोध की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आधारभूत आवश्यकताओं, प्रयोगशाला उपकरण एवं शोध जर्नल्स/सन्दर्भ ग्रन्थ हेतु स्वीकृत की जाती है।
विशेष छात्र-वृत्ति योजना	5,80,000	4,80,000	10,00,000	यह छात्र-वृत्ति चिकित्सा/इंजिनियरिंग तथा अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत योग्य श्रेष्ठ तथा प्रतिभावान विद्यार्थियों को आर्थिक आधार पर प्रदान की जाती है।

छात्रवृत्ति हेतु बजट एवं मानक-

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति- बजट धनराशि रू0 50000.00

1. विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी, जिन्होंने इण्टरमीडिएट/विश्वविद्यालय परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक या इससे अधिक एवं कला संकाय के विद्यार्थी, जिन्होंने 55 प्रतिशत अंक या इससे अधिक प्राप्त किये हों तथा उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद/विश्वविद्यालय की योग्यता सूची में स्थान प्राप्त किया हो।

2. कोई छात्रवृत्ति प्राप्त न हो रही हो।
3. अन्य जगह कार्यरत न हों।
4. छात्र को बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत इन्टाइटिलमैन्ट कार्ड प्राप्त हो।
5. अभिभावक की वार्षिक आय रु 100000/ से अधिक न हो।

असेवित छात्रवृत्ति—

1. यह छात्रवृत्ति पर्वतीय क्षेत्र के ऐसे स्थान पर निवास करने वाले छात्र/छात्राओं को उपलब्ध होगी, जिनके निवास स्थान से 10 किमी० की परिधि के अन्दर कोई महाविद्यालय न हो और वे अपने निकटतम महाविद्यालय में अध्ययन करें।
2. यह छात्रवृत्ति केवल पर्वतीय क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों में उच्च सामान्य शिक्षा में अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राओं को ही प्रदान की जायेगी।
3. यह छात्रवृत्ति केवल ऐसे विद्यार्थियों को प्रदान की जायेगी। जिन्हें इण्टर परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्रदान किये हों।
4. यह छात्रवृत्ति ऐसे विद्यार्थियों को प्रदान की जायेगी, जिनके अभिभावक की आय रु 600/— प्रतिमाह से अधिक न हों।
5. छात्रवृत्ति की अवधि दो वर्ष होगी। प्रथम वर्ष में आठ माह तथा द्वितीय वर्ष में 12 माह।
6. छात्रवृत्ति की दर छात्रावास में रहने वाले छात्र/छात्राओं के लिये रु 100/— प्रतिमाह तथा छात्रावास में न रहने वाले छात्र/छात्राओं के लिये रु 125/— प्रतिमाह।

प्रतिभावान छात्रों को उच्च एवं प्राविधिक शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति—

1. इस योजना के अन्तर्गत केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों हेतु छात्रवृत्ति देना समुचित है जो प्रोफेसनल तथा तकनीकी प्रकार के हैं। तथा जिनके लिये सुविधा पर्वतीय जनपदों में से किसी भी जनपद में नहीं हैं अथवा है भी तो उनके प्रवेश अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होता है।
2. उक्त छात्रवृत्ति केवल उन्हीं छात्रों को अनुमन्य होगी जिन्होंने संबंधित पर्वतीय जिले के जिलाधिकारी द्वारा मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तथा शासन द्वारा अनुमोदित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हों एवं अभिभावक की वार्षिक आय 9000/— से अधिक न हो।

शोध छात्रवृत्ति—

बजट धनराशि 15,0000/—

संस्थागत शोध छात्र के रूप में पी.एच.डी. उपाधि हेतु पंजीकृत होना चाहिए।

मैनुअल क्रम संख्या-13

रियायत

महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को शिक्षण शुल्क की मुक्ति।
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क की मुक्ति।

मैनुअल क्रम संख्या-14

किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों

- सम्प्रति निदेशालय कार्यालय तथा महाविद्यालय स्तर पर प्राचार्य कार्यालयों में आधारभूत सूचनाओं के कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रगति पर है। निदेशालय कार्यालय में महाविद्यालयों द्वारा तैयार स्टाफ स्टेटमेंट्स कम्प्यूटर में संग्रहित हैं, जो इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध हो सकते हैं।
- उत्तरा पोर्टल पर उच्च शिक्षा की बेवसाईट उपलब्ध है।

मैनुअल क्रम संख्या-15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं

- सूचनाएँ आवेदन पर कार्यालय समय (10 AM-5 PM) में, विभिन्न कार्यदिवसों में उपलब्ध होगी।
- सम्प्रति निदेशालय महिला महाविद्यालय के परिसर में कार्यरत है एवं निदेशालय का अपना भवन नहीं है। भवन निर्मित होने पर पृथक वाचनालय कक्ष उपलब्ध कराया जा सकेगा। भवन निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रगति पर है।
- आई0आई0टी0 रूड़की की बैबसाइट उत्तरांचल पोर्टल: उच्च शिक्षा से भी अनेक उपयोगी सूचनाएँ डाऊनलोड की जा सकती हैं।
- एन0आई0सी0 की बैबसाइट से भी आवश्यक शासनादेश डाऊनलोड किये जा सकते हैं।
- इस मध्य अपेक्षित सूचनाएँ— निदेशालय कार्यालय से सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी (उपनिदेशक उच्च शिक्षा), हल्द्वानी, नैनीताल, अशासकीय महाविद्यालयों से सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी (उपनिदेशक उच्च शिक्षा), शिविर कार्यालय देहरादून एवं राजकीय उपाधि/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों से सम्बन्धित सूचनाएँ उनके लोक सूचना अधिकारियों (प्राचार्यों) से प्राप्त की जा सकती हैं।

मैनुअल क्रम संख्या-16

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ
अपीलीय अधिकारी- निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)
लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम:-

निदेशालय स्तर पर-	
(1) डा0 एल0बी0 अग्निहोत्री उप निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय,हल्द्वानी,नैनीताल	दूरभाष संख्या-05946-225785 एवं 05946-281674
(2) डा0गोविन्द सिंह रजवार, उप निदेशक शिविर कार्यालय,उच्च शिक्षा विभाग देहरादून	0135-2655119

राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के स्तर पर लोक सूचना अधिकारी

क्र. सं.	संस्था का नाम	प्राचार्य का नाम	टेलीफोन संख्या		
			कोड	कार्यालय	आवास
1	राजकीय स्नातकोत्तर.महाविद्यालय, हल्द्वानी	डा0 बी0एस0 बिष्ट	05946	222017	222225
2	राजकीय महिला महाविद्यालय, हल्द्वानी	प्रो0 डी0एन0 पंत	05946	284518	282241
3	राजकीय स्नातकोत्तर. महाविद्यालय, रामनगर	डा0 बी0सी0 उप्रेती	05947	251326	252888
4	राजकीय महाविद्यालय, चौखुटा दोशापानी	डा0 रेखा पाण्डेय			
5	राजकीय महाविद्यालय, कोटाबाग	डा0 बी0सी0मलकानी,	05947	212267	
6	राजकीय स्नातकोत्तर.महाविद्यालय, बागेश्वर	डा0 जे0सी0 गढकोटी	05963	220081	
7	राजकीय महाविद्यालय, कपकोट	डा0 जी0एस0 रावत			
8	राजकीय महाविद्यालय, काँडा	डा0 जे0सी0 गढकोटी प्रभारी			
9	राजकीय स्नातकोत्तर.महाविद्यालय, रानीखेत	डा0 मुकुल पंत	05966	220372	220372
10	राजकीय स्नातकोत्तर. महाविद्यालय, द्वाराहाट	प्रो0 हरिराम तिरुवा	05966	244447	
11	राजकीय महाविद्यालय, स्याल्दे	डा0 गंगोत्री त्रिपाठी	05966	247591	247591
12	राजकीय महाविद्यालय, मानिला	डा0 गुड्डी प्रकाश	05966	248123	
13	राजकीय महाविद्यालय, जैती	श्रीमती कमला चन्याल			
14	राजकीय महाविद्यालय, चौखुटिया	डा0 पुष्पा मुरारी	05966	246696	
15	राजकीय महाविद्यालय, सोमेश्वर	डा0 प्रताप सिंह			
16	राजकीय महाविद्यालय, भिक्यासेण	डा0 गंगोत्री त्रिपाठी,प्रभारी			
17	राजकीय महाविद्यालय, गुरुड़ाबाँज	डा0 बी0एस0 बिष्ट,प्रभारी			
18	राजकीय स्नातकोत्तर. महाविद्यालय,पिथौरागढ़	डा0 जी0एस0 बिष्ट, प्रभारी	05964	264027	225897
19	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेरीनाग	डा0इरशाद नजर खान,	05961	244641	244641
20	राजकीय महाविद्यालय, नारायणनगर	डा0मृगेश पाण्डे	05943	234107	232088
21	राजकीय महाविद्यालय, बलुवाकोट	डा0 पी0के0 पाठक	05967	226454	
22	राजकीय महाविद्यालय, मुनस्यारी	डा0 प्रेम प्रकाश	05961	222320	222396
23	राजकीय महाविद्यालय, गंगोलीहाट	डा0 एस0के0 गुरुरानी	05964	242330	242372

24	राजकीय महाविद्यालय, चम्पावत	डा0 बी0डी0 पंत	05965	230462	
25	राजकीय महाविद्यालय, टनकपुर	डा0 करुणा खुन्नू	05943	205072	
26	राजकीय स्नातकोत्तर. महाविद्यालय, लोहाघाट	डा0 डी0एस0 पांगती	05965	234552	235410
27	राजकीय स्नातकोत्तर. महाविद्यालय, खटीमा	डा0 बी0एस0 नेगी	05943	250339	
28	राजकीय स्नातकोत्तर. महाविद्यालय, रुद्रपुर	डा0 जगदीश प्रसाद	05944	243586	242896
29	राजकीय स्नातकोत्तर. महाविद्यालय, काशीपुर	डा0 डी0एन0 जोशी	05947	262332	262151
30	राजकीय महाविद्यालय, बाजपुर	डा0 जी0डी0 भट्ट	05944	282140	
31	राजकीय स्नात0. महाविद्यालय, कोटद्वार	डा0 नीरजा जोशी	01382	222188	226421
32	राजकीय महाविद्यालय, बेदीखाल	डा0 गंगा बोरा	01348		
33	राजकीय महाविद्यालय, जयहरीखाल	डा0 पी0एस0 मखलोगा	01386	276641	262389
34	राजकीय महाविद्यालय, चौबट्टाखाल	डा0 डी0सी0 तिवारी	01386	265354	
35	राजकीय महाविद्यालय, थलीसैण	डा0 एन0पी0माहेश्वरी	01348	225847	
36	राजकीय महाविद्यालय, सतपुली	डा0 ए0एस0 सिराडी			
37	राजकीय महाविद्यालय, नैनीडांडा	डा0 सुशीला सूद			
38	राजकीय महाविद्यालय, रिखणीखाल	डा0 आर0सी0दुम्का			
39	राजकीय स्नात0 महाविद्यालय, गोपेश्वर	डा0 ए0एस0 रौतेला	01372	252145	252650
40	राजकीय विधि महाविद्यालय, गोपेश्वर	डा0 ए0के0कान्तू	01372	251343	252549
41	राजकीय महाविद्यालय, कर्णप्रयाग	डा0 एम0एस0 रौतेला	01363	244129	
42	राजकीय महाविद्यालय, जोशीमठ	डा0 के0के0एस0 नेगी	01389	222675	
43	राजकीय महाविद्यालय, तलवाडी	डा0 एम0सी0 नैनवाल	01363	277843	
44	राजकीय महाविद्यालय, गैरसैण	डा0 एस0सी0 पंत	01363	268361	
45	राजकीय महाविद्यालय, नागनाथपोखरी	डा0 जीत सिंह कंडारी	01372	222234	
46	राजकीय स्नातकोत्तर. महाविद्यालय, अगस्त्यमुनि	डा0 चन्द्र राम	01364	256229	256505
47	राजकीय महाविद्यालय, जखोली	डा0 माधुरी	01364	234285	
48	राजकीय महाविद्यालय, रुद्रप्रयाग	डा0 गिरीश चन्द्र मिश्रा			
49	राजकीय स्नातकोत्तर. महाविद्यालय, उत्तरकाशी	डा0 हेमा प्रसाद	01374	222148	222238
50	राजकीय महाविद्यालय, बडकोट	श्री के0एल0 मालगुडी	01375	224428	224113
51	राजकीय महाविद्यालय, पुरौला	डा0 बी0डी0 जोशी	01374	223018	223022
52	राजकीय महाविद्यालय, चिन्यालीसौड़	डा0 पी0सी0 तिवारी	01371	237153	
53	राजकीय महाविद्यालय, नई टिहरी	डा0 अशोक कुमार	01376	234964	232788
54	राजकीय महाविद्यालय, नरेन्द्रनगर	डा0 मुकुल त्रिवेदी, प्रभारी			
55	राजकीय महाविद्यालय, देवप्रयाग	डा0 डी0एस0 भंडारी	01378	266231	
456	राजकीय महाविद्यालय, अगरोड़ा	डा0 एस0एन0 भट्ट	01379	281319	
57	राजकीय महाविद्यालय, चन्द्रबदनी	डा0 हेम चन्द्र तिवारी	01376	247015	
58	राजकीय महाविद्यालय, नैनबाग	डा0 अर्चना गौतम	01376	228529	
59	राजकीय महाविद्यालय, प्रतापनगर	डा0 राजीव रतन			
60	राजकीय महाविद्यालय, पौखाल	डा0 के0 एस0 जौहरी	01379	267504	
61	राजकीय महाविद्यालय, थत्यूड	डा0 सत्यपाल सिंह			
62	राजकीय महाविद्यालय, डाकपत्थर	डा0 गौरी सेवक	01360	222202	
63	राजकीय स्नातकोत्तर. महाविद्यालय, ऋषिकेश	डा0 मुकुल त्रिवेदी	0135	2430495	
64	राजकीय महाविद्यालय, डोईवाला	डा0 आशा जुगरान	0135	2410905	
65	राजकीय महाविद्यालय, चकराता	डा0 के0 के0 श्रीवास्तव	01360	262933	
66	राजकीय महाविद्यालय, त्यूनी	डा0 एम0एम0 जोशी			
67	राजकीय महाविद्यालय, लक्सर	डा0 आषा जोशी	01332	225436	

उत्तराखण्ड शासन

शिक्षा अनुभाग-7

संख्या: 190 / XXIV(7) / 2006

देहरादून दिनांक : 08 मार्च 2006

कार्यालय ज्ञाप

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग तथा विभाग के नियन्त्रण में आने वाली संस्थाओं में लोक सूचना अधिकारी/ सहायक लोक सूचना अधिकारी के कार्यों के निर्वहन हेतु अधिकारियों को नामित करने विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-605/XXIV(7)/2005 दिनांक 24 अगस्त, 2005 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नांकित अधिकारियों को लोकसूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने हेतु पदेन रूप से कार्य करने हेतु नामित किया जाता है :-

क.लोक प्राधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
(1)	(2)	(4)
1.उच्च शिक्षा विभाग।	प्रत्येक राजकीय स्नातकोत्तर तथा उपाधि महाविद्यालयों के प्राचार्य।	निदेशक, उच्च शिक्षा
2.उत्तरांचल संस्कृत वि०वि०हरिद्वार	कुलसचिव, उत्तरांचल संस्कृत अकादमी, हरिद्वार।	कुलपति, उत्तरांचल संस्कृत वि.वि.हरिद्वार।
3.उत्तरांचल मु०वि०वि० वि०वि० हल्द्वानी।	कुल सचिव, उ०मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	कुलपति, उ०मुक्त हल्द्वानी।
4.दून विश्वविद्यालय देहरादून	कुल सचिव, दून वि०वि० देहरादून।	कुलपति दून विश्वविद्यालय, देहरादून।

उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-08-2005 में उल्लिखित अन्य व्यवस्थायें यथावत लागू रहेंगी।

(एस. राजू)
सचिव

संख्या: 190/XXIV(7)/2006 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सूचना आयुक्त को उनके पत्र संख्या-51/उ0स0अ0/2006 दिनांक 17-01-2006 में दिये गये आदेशों के क्रम में प्रेषित ।
2. सचिव, सूचना उत्तरांचल शासन ।
3. कुलपति, उत्तरांचल संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार ।
4. कुलपति, दून विश्वविद्यालय देहरादून ।
5. कुलपति उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी- नैनीताल ।
6. निदेशक, उच्च शिक्षा हल्द्वानी नैनीताल ।
7. प्राचार्य, समस्त राजकीय स्नातकोत्तर/ उपाधि महाविद्यालय, उत्तरांचल ।
8. सचिव, उत्तरांचल संस्कृत अकादमी, हरिद्वार ।
9. उपनिदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून ।
10. विभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,
हस्ताक्षर
(एस0 के0 माहेश्वरी)
अपर सचिव

पृ0 सं0 डिग्री सेवा/13705-67/2005-06 दिनांक मार्च 2006 ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उपनिदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून ।
2. उपनिदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी, (नैनीताल) ।
3. सचिव उत्तरांचल संस्कृत अकादमी, हरिद्वार ।
4. कुल सचिव उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी ।
5. कुल सचिव दून विश्वविद्यालय, देहरादून ।
6. कुल सचिव हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर, गढ़वाल
7. कुल सचिव कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल ।
8. कुल सचिव उत्तरांचल संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार ।
9. प्राचार्य समस्त राजकीय स्नातकोत्तर/ उपाधि महाविद्यालय उत्तरांचल को सूचना का अधिकार सम्बन्धी आवश्यक सामग्री सहित ।
10. आदेश पुस्तिका/ संगणक/ कार्यालयप्रति ।

डा0(आर0 एम0 जोशी)
संयुक्त निदेशक,
कृते निदेशक (उच्च शिक्षा)
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

उत्तरांचल शासन

शिक्षा अनुभाग-7

संख्या:605/XXIV(7)/2005

देहरादून दिनांक: 24 अगस्त, 2005

कार्यालय ज्ञाप

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग तथा विभाग के नियन्त्रण में आने वाली संस्थाओं में लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी के कार्यों के निर्वहन हेतु निम्नांकित अधिकारियों को पदेन रूप से कार्य करने हेतु नामित किया जाता है—

क्र०सं०	लोक प्राधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	सहा० लो०सू०आ०	अपी०अधि०
1	उच्च शिक्षा विभाग	अ. उप निदेशक उच्च शिक्षा हल्द्वानी ब.उप निदेशक उच्च शिक्षा,शिविर कार्यालय,देहरादून	प्रत्येक राजकीय उपाधि एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्य	निदेशक
2.	हेमवती नन्दन बहुगुणा गढवाल विश्वविद्यालय,श्रीनगर(गढवाल)	स. कुलसचिव हे०न०ब०ग०वि०वि० श्रीनगर,गढवाल	1.उपकुलसचिव हे०न०ब०ग०वि०वि० श्रीनगर गढवाल शिविर कार्यालय देहरादून	कुलपति हे०न०ब०ग०वि०वि० श्रीनगर
3	कुमायूँ विश्वविद्यालय,नैनीताल	द.कुलसचिव,कुमायूँ विश्वविद्यालय,नैनीताल	2.समन्वयक अधिष्ठाता,अल्मोडा परिसर	कुलपति,कुमायूँ विश्वविद्यालय,नैनीताल
4	उत्तरांचल संस्कृत विश्वविद्यालय,हरिद्वार	य.कुलसचिव उत्तरांचल संस्कृत विश्वविद्यालय,हरिद्वार		कुलपति,उत्तरांचल संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार

प्रत्येक राजकीय स्नातकोत्तर/उपाधि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सहायक सूचना अधिकारी के रूप में उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जायेगा। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय जिन्हें राजकोष से वेतन का भुगतान होता है वे जिस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं उसी विश्वविद्यालय के लोक सूचना अधिकारी/सहायक सूचना अधिकारी के क्षेत्राधिकार में रहेंगे।

एम०रामचन्द्रन

अपर मुख्य

सचिव।

संख्या- 605 (1)/XXIV(7)/2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
- (2) अपर सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
- (3) कुलपति कुमायूँ विश्वविद्यालय नैनीताल।
- (4) कुलपति हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढवाल।
- (5) कुलपति उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
- (6) निदेशक उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड।
- (7) उप निदेशक, उच्च शिक्षा शिविर कार्यालय देहरादून।
- (8) उप निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी (नैनीताल)।
- (9) कुल सचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढवाल।
- (10) कुल सचिव, कुमायूँ विश्वविद्यालय नैनीताल।
- (11) कुल सचिव, उत्तरांचल संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
- (12) प्राचार्य समस्त राजकीय स्नातकोत्तर/उपाधि महाविद्यालय उत्तरांचल (द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा)।
- (13) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- (14) विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(एस0के0माहेश्वरी)
अपर सचिव।

मैनुअल कम सं० -17

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय